पत्र सं0:-09/नामांकन-02-01/2023/स्वा0 -394(9)

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

ललित मोहन शुक्ला,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
एम्स, देवघर, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः- 23-8-24

विषयः- राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS, BDS, BHMS पाठ्यक्रमों में दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन हेतु बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता संबंधी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 494(9) दिनांक 16.10.2023 एवं संकायाध्यक्ष रिम्स, राँची का पत्रांक-2099 दिनांक 12.08.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विभागीय पत्रांक 494(9) दिनांक 16.10.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS, BDS, BHMS पाठ्यक्रमों में दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए रिम्स, राँची को प्राधिकृत किया गया है। उक्त निदेश के अनुपालन के क्रम में संकायाध्यक्ष रिम्स, राँची के पत्रांक-2099 दिनांक 12.08.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि रिम्स, राँची में ENT से संबंधित आवश्यक उपकरण एवं Audiologist नहीं रहने के कारण बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता संबंधी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करना संभव नहीं हो पा रहा है। रिम्स, राँची द्वारा इस संबंध में जाँच हेतु एम्स, देवघर को नामित करने का परामर्श दिया गया है। दिव्यांगता संबंधी अन्य सभी जाँच रिम्स, राँची द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः अनुरोध है कि सत्र 2024-25 के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS, BDS, BHMS पाठ्यक्रमों में दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन हेतु बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता संबंधी जाँच कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

23/8/2024

(ललित मोहन शुक्ला)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-09/नामांकन-02-01/2023/स्वा0 394(9) राँची, दिनांकः- 23-8-24

प्रतिलिपिः- निदेशक/ संकायाध्यक्ष रिम्स, राँची/ परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/8/2024

सरकार के संयुक्त सचिव।